राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

क्रमांक :–एफ.2(7047)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/00821/2021 जयपुर,दिनांक 15-02-2021

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्युटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:–

क्र. स.	मेरिट न.	कार्मिक का नाम	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1	3141	श्री लोकेश कुमार पाटीदार	कार्यलय सहायक निदेशक लोक सेवाऐं,सवाई माधोपुर	• SSC, CGL-2020
2	4084	श्रीमती मेघा लखभेरा	कार्यालय आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली	Shri Vishwakarma Skill University, Haryana, Assistant Institute of Pesticide Formulation Technology, Gurugram, Establishment Officer MNIT, Jaipur, Scientific/Technical Officer Press Council of India, New Delhi, Assistant Section Officer
3	2107	श्रीमती/सुश्री मंजु चौधरी	कार्यालय वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, क.रा.बी. मिनी चिकित्सालय, भिवाडी, अलवर	• Board of Secondary Education, Haryana,HTET-2020
4	New IA-2018	श्री महावीर प्रसाद महावर	जिला औषधि भण्डार गृह, टोंक	• BSER, REET-2021
5	New IA-2018	श्री मोहित खिमाणी	जिला औषधि भण्डार गृह, जालौर	• SSC, CGL-2020 • RPSC, Assistant Professor
6	New IA-2018	श्री मनीष कुमार गुप्ता	मुख्यालय सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर	• JMRC, Junior Engineer & Customer Relation Assistant(CRA)
7	New IA-2018	श्री महेश शर्मा	तकनीकी शिक्षा बोर्ड, जोधपुर	• RPSC, ACF & FRO Grade-1
8	New IA-2018	श्री मनोज कुमार गुप्ता	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड	• RSSB, Stenographer Exam-2018

उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त सूचना सहायकों को राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
3. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
4. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
5. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
7. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प. 9(5)(9)/कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शारित हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. संबधित विभागाध्यक्ष.....................।
2. संबधित कर्मचारी.........................।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एव
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

Scanned with CamScanner